फर्द अहंकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

श्रवण बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :- 80/2023 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में
	25/4/24	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136, भू-राजस्व अधिनियम पर बहस गत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि पत्रावली अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुयी है। प्रार्थी ने अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी की भूमि खाता सं. 248, खसरा संख्या 760 रकबा 1.5200 हे० के नक्शे में पूर्व साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करवायी जावे। चूंकि धारा-136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, अधिकार-अभिलेख (Record of Rights) में हुयी लिपिकीय गलती

उपखण्ड अधि... आमेर, जिला- जय...

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

श्रवण बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :- 80/2023 ग्रेपस

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		(clarical error) को दुरस्त करने का प्रावधान करती है। अधिकार अभिलेख (Record of Rights) को राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-114 में परिभाषित किया हुआ है, जिसमें उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार 'नक्शा', अधिकार-अभिलेख का भाग नहीं है। अतः धारा-136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा-136 के Purview (परिधि) में नहीं होने के कारण बिना गुणावगुण पर विचार किये, पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.1.24 को खुले न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया। ह०/- उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर	